(क) विदेश संचार निगम द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी के किन-किन क्षेत्रों में हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का उपयोग प्रारम्भ किया गया है, अथवा किये जाने की योजना है ; और

(ख) क्या विशेषत: इलैक्ट्रानिक मेल में देवनागरी लिपि को भी अपनाने की योजना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सूखराम) : (क) हिन्दी भाषा का प्रयोग, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन, दूरदर्शन, प्रैस बुलैटिन एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग सेवाओं में किया जा सकता है । किसी भी सिरे पर सद्वभाषी टेलैक्स तथा उपयुक्त द्विभाषी ग्फ्टवेयर का प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय फैक्स टेलैक्स तथा डॉटा कम्यूनिकेशन सेवाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा सकता है । विदेश संचार निगम लि० नम ए टी टी तथा एम सी आई के माध्यम से 'आरस्कार सेवा" नाम की सीधी सेवा भी रीकीम्भ की है । इस सेवा के अन्तर्गत, ग्रम प्रचालक कलेक्ट/क्रैडिट कार्ड आधार पर भारत से हिन्दी में की गई कालों को मिलाते हैं ।

(ख) जी, हां । विदेश संचार निगम लि०, अपनी इलेक्ट्रॉनिक-मेल सेवा के लिए देवनागरी लिपि दूरस्थ प्रयोक्ता एजेंट (आर यू ए) आरम्भ करने की योजना बना रहा है । इससे उपभोक्ता, विदेश संचार निगम लि० की इलेक्ट्रौनिक मेल सेवा से देवनागरी लिपि में संदेश भेजने और इलेक्ट्रॉनिक-मेल प्राप्त करने में समर्थ होंगे ।

Foreign equity for Private Companies in Telecom Services

8. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a compulsory minimum of 10 per cent foreign equity is mandatory for private companies bidding for basic telecom services so far as the stipulations of the tender issued by the Telecom Commission are concerned;

(b) if so, whether such a provision is violative of the spirit of competitiveness; and

(c) if so, whether it is consistent with the basic objectives of the New Telecom Policy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir. However for the purpose of counting the experience and networth of a partner company, such company should have a minimum of 10 per cent equity in the bidder company.

(b) and (c) Do not arise in view of above.

Management of telephone traffic in the country

9. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Telecommunication have recently introduced a Traffic Control and Management Information System;

(b) if so, what are the salient features of the System; and

(c) in what manner it will improve the existing management of telephone traffic in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes Sir, on an experimental basis. At present the system is connected to 21 E-10B type electronic exchange in MTNL, Delhi.

(b) Traffic flow data collection on all the routes of the exchanges connected to the system.

— 'ON LINE' display of the above date for routes with heavy traffic congestion/high outage on computer screen in tre control room of network management cell.

— Facility for remedial measures by way of diverting/blocking traffic on exceptional routes in the event of a major link failure or sudden spurt in traffic.

(c) The features started in para (b) above will result in optimum use of the junction network and consequent reduction in failure rate of calls.

मूल्य वर्धित सेवाएं

10. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में शुरु की जाने वाली पेजिंग और इलैक्ट्रॉनिक मेल सेवा जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई दूरसचार नीति के लिए मार्ग-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इससे अलग-अलग राज्यों में ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार के संदर्भ में कौन-कौन सी कठिनाईयां सामने आने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने पेजिंग और इलैक्ट्रोनिक-मेल जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं पंजीकृत भारतीय कंपनियों को फ्रेंचाइज़ आधार पर देने का निर्णय लिया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) जी हां। मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्रति संलग्न विवरण–II में दी गई है। (नीचे देखिए)

(घ) इस संबंध में कोई कठिनाईयां आने की संभावना नहीं है।

विवरण –

निम्नलिखित सेवाओं को मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप में पहचान की गई है :—

(i) रेडियो पेजिंग

(ii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

(iii) सेल्यूलर इलैक्ट्रानिक मेल

(iv) वायस मेल

(v) ऑडियोटैक्स सेवा

(vi) वी एस ए टी का उपयोग करते हुए 64 के बी पी एस डेटा सेवा

(vii) वीडियो टैक्स सेवा

(viii) वीडियो कानफ्रेंसिंग

लाइसेंस के अंतर्गत इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों द्वारा रेडियो पेजिंग तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लाइसेंस, गैर-विशिष्ट आधार पर प्रदान किये जाएंगे। इन सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं तथा उनका लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है।

विभाग द्वारा निविदा आधार पर रेडियो पेजिंग तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। यह इस कारण से है कि आवृति स्पेक्ट्रम की सीमाओं के कारण सीमित प्रचालनों को ही अनुमति दी गई है।